

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.  
राजस्व वादपत्र संख्या :- 2022/34

1 लखवीरसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख नि: 3 बीजीएम खाजूवाला

.....वादी

**बनाम**

- 1 सुखदेवसिंह पुत्र लखवीरसिंह जाति जटसिख नि: 3 बीजीएम खाजूवाला ।
- 2 बलजीतकौर पत्नी लखवीरसिंह जाति जटसिख नि: 3 बीजीएम खाजूवाला ।
- 3 तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर ।
- 4 उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

.... प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट**

**—: निर्णय :-**

**दिनांक :- 22.2.2022**

वाद में लिखे गए फ़ैक्ट्स पर गौर किया गया । अदालत का मानना है कि इस वादपत्र पर कार्यवाही करना अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं है क्योंकि विवादित जमीन चक 3 बीजीएम बी के मु0नं0 184/18 की 25 बीघा रजिस्टर्ड दानपत्र के जरिए ट्रांसफर की गई है ।  
वादी का कहना है कि जिस मुख्त्यार आम के आधार पर गिफ्टडीड तस्दीक की गई थी, वह पीओए उससे जबरदस्ती लिखवाया गया था इसलिए उस दानपत्र की इ पदपजपव अवपक घोषित कर विवादित जमीन वादी के नाम दर्ज की जाए ।  
अदालत का मानना है कि वादी द्वारा पेश किए आधार पर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की वॉइड घोषित करने का इख्तियार इस अदालत को नहीं है इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत वादपत्र खारिज किया जाता है ।

(प्रभजोत सिंह गिल),  
(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी,  
(खाजूवाला)